भारत सरकार
योजना मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 463
दिनांक 03.12.2025 को उत्तर देने के लिए

अत्यधिक गरीबी में जीवन यापन करने वाले लोग

463. **श्री एंटो एन्टोनी:**
एडवोकेट अदूर प्रकाश:

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में अत्यधिक गरीबी के उपशमन के संबंध में कोई नवीनतम समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत पांच वर्षों के दौरान अत्यधिक गरीबी में जीवन यापन करने वाले लोगों की कुल संख्या का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में अत्यधिक गरीबी को परिभाषित करने के लिए क्या मानदंड और पद्धति अपनाई गई है;

(घ) क्या केरल सरकार ने राज्य को देश में अत्यधिक गरीबी से मुक्त राज्य घोषित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में अत्यधिक गरीबी से मुक्त राज्य घोषित करने के मानकों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय;
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) योजना मंत्रालय एवं
राज्यमंत्री, संस्कृति मंत्रालय

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क) से (ग) भारत सरकार ने गरीबी के आकलन के लिए एक व्यापक सूचकांक विकसित किया है जिसे राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) के रूप में जाना जाता है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) एल्कायर-फॉस्टर (एएफ) पद्धति पर आधारित है-जो एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त पद्धति है जो स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर जैसे आयामों में 12 संकेतकों के माध्यम

से अतिव्यापी अभावों का पता लगाती है। बेसलाइन रिपोर्ट नवंबर 2021 में प्रकाशित हुई थी और राष्ट्रीय एमपीआई रिपोर्ट का दूसरा संस्करण जुलाई 2023 में जारी किया गया था।

नीति आयोग द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट 'राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक: एक प्रगति समीक्षा 2023' के अनुसार, बहुआयामी गरीबी में जनसंख्या का अनुपात 2015-16 और 2019- 21 के बीच 24.85% से घटकर 14.96% हो गया, जो दर्शाता है कि इस अवधि के दौरान लगभग 13.5 करोड़ लोग गरीबी से मुक्त हुए हैं। इसके अलावा, नीति आयोग द्वारा प्रकाशित 2005-06 से भारत में बहुआयामी गरीबी पर चर्चा पत्र के अनुसार, भारत में बहुआयामी गरीबी 2013-14 के 29.17% से घटकर 2022-23 में 11.28% होने का अनुमान है, जिसका अर्थ है कि 24.82 करोड़ लोग इस अवधि के दौरान गरीबी से मुक्त हुए हैं। इसका राज्य-वार विवरण सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है और इसे https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2023-08/India-National-Multidimentional-PovertyIndex-2023.pdf और https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2024-01/MPI-22_NITIAayog20254.pdf पर देखा जा सकता है।

(घ) और (ङ) 1 नवंबर, 2025 को केरल सरकार ने आधिकारिक तौर पर केरल राज्य को देश का अत्यधिक गरीबी से मुक्त पहला राज्य घोषित किया है।

चरम गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम 2021 में केरल सरकार द्वारा शुरू किया गया था। भोजन, स्वास्थ्य, आवास और आय जैसे संकट कारकों के आधार पर अत्यधिक गरीबी के मामलों की पहचान करने के लिए स्थानीय निकाय, प्रभाग और वार्ड स्तरों पर एक व्यापक पहचान प्रक्रिया चलाई गई थी। ग्राम/वार्ड सभाओं द्वारा अनुमोदित अंतिम लाभार्थी सूची में उक्त कार्यक्रम के तहत सहायता की आवश्यकता वाले 64,006 परिवारों की पहचान की गई है। इस परियोजना के दौरान इन परिवारों के लिए विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य, भोजन, आश्रय, आय आदि से संबंधित अंतःक्षेप किए गए; जिससे उन्हें अत्यधिक गरीबी से मुक्त किया गया।

*****